न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Bsw-O 03/2013 श्री देवेन्द्र कुमार बनाम **श्री धनजी**

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25–07–2018	वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। अपीलान्ट द्वारा यह अपील रेस्पोन्डेन्ट को आवंटन अधिकार उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा के आवंटन आदेश दिनांक 24–6–1995/30–6–1995 से ग्राम डडूका की आराजी नंबर 6845/5657 रकबा .32 हैक्टर भूमि आवंटन किये जाने से रूष्ट होकर दिनांक 17–1–2013 को पेश की। अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि आराजी नंबर 5657 के पड़ोस में यह भूमि है तथा इस पर वह काबिज है। इस भूमि पर 50 वर्षो से उसका कब्जा है। भूमि की किस्म मगरी है तथा रेस्पोन्डेन्ट भूमिहीन काश्तकार नहीं है। आवंटन विधि सम्मत नहीं हुआ है। आंवटन की पत्रावली भी उपखण्ड अधिकारी व जिला कलक्टर के यहां से उपलब्ध नहीं हुई है। हमारे द्वारा उक्त अपील मयाद आवेदन पर भी अपीलान्ट को सुना गया। अपीलान्ट द्वारा यह अपील आवंटन के करीब 18 वर्षो बाद पेश की है। जिसके लिए काई उचित व पर्याप्त आधार नहीं है। अतएव प्रथमतया ही यह अपील बेरून मयाद होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है बहस व पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन करने पर यह प्रकट आता है कि अपीलान्ट ने उक्त आवंटन को त्रुटिपूर्ण होने के आधार यह बताए है कि भूमि उसके पड़ोस में है व उसका कब्जा है, परन्तु कब्जे बाबत् कोई साक्ष्य पेश नहीं की है व भूमि पड़ोस में होने पर स्ट्रीप/आवंटन हेतु उसने कोई आवेदन भी पेश नहीं किया है। प्रकरण में जहां तक अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली दस्तयात नहीं होने का प्रश्न है, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि आवंटन नहीं हुआ है, क्योंकि कार्यवाही वृतांत व आवंटन के अन्य पत्रादि उपलब्ध है। भूमि की किस्म मगरी होने पर भी भूमि काबिल काश्त हो सकती है व इसी आधार पर रेस्पोन्डेन्ट को खातेदारी भी मिल चुकी है।	

प्रकरण में जहां तक आवंटी के भूमिहीन नहीं होने का प्रश्न है रेस्पोन्डेन्ट द्वारा पेश किये गये राजस्व रेकर्ड से आंवटी भूमिहीन नहीं है।

अधिसूचना व मिनट्स जारी नहीं होने की प्रमाणन यह नकल उपलब्ध नहीं होना प्रमाणित नहीं किया गया है। आवेदक/आंवटी/रेस्पोन्डेन्ट की अयायता प्रमाणित नहीं है। अपीलान्ट का अतिक्रमी होना भी प्रमाणित नहीं है। व अतिक्रमी का वैसे भी लोकस–स्टेण्डाई नहीं होता। रेस्पोन्डेन्ट आवंटी को खातेदारी भी प्राप्त हो चुंकी है। धारा–18 माही कोलोनाईजेशन एक्ट के तहत अपीलान्ट के वर्णित उजरों के प्रमाणित व विधिक नहीं होने से अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 24–6–1995/30–6–1995 यथावत रखा जाता है।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25–07–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Bsw-O 03/2013 श्री देवेन्द्र कुमार बनाम **श्री धनजी**

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.** ....मुकाम ....
उदयपुर व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

श्री गणेश लाल नागदा पिता श्री कालूलाल नादा निवासी पुला शोभागपुरा रोड़ पटवार मण्डल के पास शोभागपुा स्कूल के सामने तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

बनाम

श्री भंवर लाल पिता श्री तेजपाल कटारिया निवासी 343 भोपालपुरा उदयपुर (राज0) अन्य 10 व सरकार

अपील नं0 84/2012 बनाराजगी डिगरी अदालत .... सहायक कलक्टर मु0...... .... उदयपुर .... मुकाम मुर्क्खे...........27............. माह ....02........... 1993

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ...... 15..... माह ......06.......... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री सत्य प्रकाश व्यास .... मिनजानिब अपीलान्ट व ....श्री संजय बोहरा .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अतः अपील अपीलान्ट दूषित (Defectiv) होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–2–1993 यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख........15..... माह ...06........ 2016 को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील .... 2. स्टाम्प वकालत नामा....... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Bsw-O 03 / 2013 श्री देवेन्द्र कुमार बनाम **श्री धनजी**

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.** ....मुकाम .... **उदयपुर** व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

श्री गांगा पिता देवा डांगी
निवासी खेड़ी तहसील गिर्वा
जिला उदयपुर (राज0)
अन्य –2

बनाम

श्री भंवर लाल पिता श्री कालूलाल
निवासी गांव खेड़ी तहसील गिर्वा
जिला उदयपुर (राज0)
अन्य–6

अपील मूत नं0 3 / 2015 बनाराजगी डिगरी अदालत ....भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी ......उदयपुर .... मुकाम मुक्र्खे...........08............. माह ....07........... 2015

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ...... 25..... माह ......05.......... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री मन्नाराम डांगी .... मिनजानिब अपीलान्ट व ....श्री .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि .... प्रकरण में वकील अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा आवेदन दफा–152 जाब्ता दीवानी का अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि इस न्यायालय द्वारा जारी डिक्री अन्तर्गत प्रकरण संख्या 46 / 2004 निर्णय दिनांक 8–7–2010 में अंकित आराजी नं0 3261 रकबा 0. 800 हैक्टर लिपिकीय / टंकण त्रुटि से गलत अंकित हो गया है। इसके स्थान पर आराजी नंबर 3231 रकबा 0.0800 हैक्टर अंकित किया जावे।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख........14..... माह ...06....... 2016 को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
5. स्टाम्प अपील .... 6. स्टाम्प वकालत नामा....... 7. इजराय हुक्मनामा .... 8. वकील फीस बाबत .... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।